'योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, जल जीवन मिशन में 11 माह में 10.32 लाख कनैक्शन दिये

जयपुर, 22 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, इसके लिए धन की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा, विभागीय अधिकारी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त बजट का समय पर उपयोग करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन एवं अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे कार्यों तथा बजट घोषणाओं से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर इन्हें शीघ्र पूरा किया जाए।

- **मुख्यमंत्री ने विभाग को, राजपत्रित, अराजपत्रित, तकनीकी और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के रिक्त पड़े 12 हजार से अधिक पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिये।**

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भाग लिया। प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत ने विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति पर प्रैज़ैन्टेशन दिया।

मुख्यमंत्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भास्कर ए. सावंत ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी दी।

शर्मा ने कहा, हमारी सरकार के कार्यकाल के मात्र 11 महीनों में ही जल जीवन मिशन के तहत 10.32 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने इस योजना के कार्यों में तेजी लाते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे कामों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए।

शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में रिक्त पदों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार देना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। अतः विभाग में राजपत्रित, अराजपत्रित, तकनीकी एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के रिक्त पड़े 12 हजार से अधिक पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। उन्होंने 3500 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन एवं अमृत 2.0 सहित विभागीय योजनाओं के तहत, पाइपलाइन बिछाने के कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आमजन को इससे परेशानी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों का जिला कलेक्टरों के स्तर पर निरीक्षण करवाकर विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई जाए और कार्य समाप्ति के तुरंत बाद सड़क की मरम्मत-पुनर्निर्माण करवाया जाए।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अवैध कनेक्शनों को चिन्हित कर उन्हें काटा जाए तथा संबंधित व्यक्ति पर जुर्माने सहित अन्य सख्त कार्रवाई की जाए।

इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैयालाल, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, मिशन निदेशक जल जीवन मिशन कमर उल जमान चौधरी सहित पी.एच.ई.डी., जल जीवन मिशन एवं भूजल विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

पेपर लीक : 10 ट्रेनी एस.आई. को जमानत मिली

जयपुर, 22 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में दस ट्रेनी एस.आई. को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, अदालत ने डमी अभ्यर्थी के तौर परीक्षा में शामिल आरोपियों सहित कुल 9 आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने ये आदेश मामले में पेश कुल 19 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। डमी अभ्यर्थी गिरधारी राम की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ आरोप है कि उसने 10 लाख रुपए लेकर विक्रमजीत के स्थान पर डमी उम्मीदवार के रूप में परीक्षा दी, जबकि जिस दिन परीक्षा हुई थी, वह जैसलमेर में शिक्षक के रूप में स्कूल में उपस्थित था, उसके उपस्थिति रजिस्टर से भी यह साबित होता है। इसके अलावा विक्रमजीत के प्रवेश पत्र में लगी उसकी फोटो और परीक्षा के दौरान दी गई दूसरी फोटो से यह साबित है कि उसने स्वयं ही लिखित परीक्षा दी थी। इसके अलावा, उसका नाम भी एफ.आई.आर. में नहीं है और वह गत 18 अप्रैल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील अनुराग शर्मा ने कहा कि ओ.एम.आर. शीट में किए गए हस्ताक्षर को एफ.एस.एल. भेजा गया था, जो याचिकाकर्ता की हैंडराइटिंग से मैच हुए हैं।

कैनडा में हिंसा के लिए प्र.मंत्री मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है

कैनडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की गुप्तचर सलाहकार नैतली ड्रूइन ने यह दावा किया

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- **कैनडा सरकार ने, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ओर एन.एस.ए. अजित डोभाल के खिलाफ भी सबूत नहीं होने की बात कही।**
- **कैनडा सरकार ने अपने ही इस पूर्व बयान को खारिज कर दिया कि कैनडा में हुई निज्ज़र की हत्या की साजिश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस.जयशंकर व अजीत डोवल को पता था।**

नई दिल्ली, 22 नवंबर। कैनडा ने अब इस बात से इंकार किया है कि उसके पास कैनडा की धरती पर हुई हिंसा से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से किसी प्रकार के किसी 'लिंक' के कोई प्रमाण है।

कैनडा के विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह कैनडा में डराने-धमकाने (इन्टिडिमेशन) के अभियान के मास्टर माइंड है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा था कि कैनडा के पास कैनडा की धरती पर सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की लिप्तता के सबूत है। इस सप्ताह के आरंभ में एजेंसियों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंसक षडयंत्र के बारे में जानकारी थी तथा विदेश मंत्री जयशंकर तथा एन.एस.ए. अजीत डोवल भी इस घेरे में थे। कैनडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इन्टिलिजेंस एडवाइज़र, नैटली ड्रूइन ने कहा कि, 'क्रैनडा सरकार ने ना तो ऐसा कहा है, और इसे किसी प्रमाण या सबूत की जानकारी है। जो प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर या एन.एस.ए. डोवल को कैनडा की किसी गंभीर क्रिमिनल गतिविधि से जोड़ता है। इसके विपरीत कोई भी संकेत मात्र अटकल तथा गलत है।' जहां भारत सरकार ने कैनडा में हिंसक अपराधों में उसकी लिप्तता के आरोप सिरे से खारिज कर दिये है, वहीं कैनडा सरकार निज्जर की हत्या में चारों भारतीय नागरिकों पर आरोप लगाये है। कैनडा, अपने गृह राज्य पंजाब से बाहर रहने वाली सिखों की बहुत बड़े संख्या का घर बना हुआ है। तथा उस देश में इस प्रकार के प्रदर्शन होते रहते है। तथा मांग की जाती रहती है कि सिखों के लिये पृथक होम लैंड भारत से अलग किया जाना चाहिये। भारत इन अलगाववादियों को 'आतंकवादी' बताता है, जो भारत की सुरक्षा के लिये खतरा है।

जहां दोनों देशों के बीच कूटनीति तनाव अभी तक खदबदा रहे है। वहीं कैनडा और भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही, रियो डी जेनेरो में जी-20 के दौरान मंच साझा करते हुए दिखाई दिये थे। जब ट्रूडो ने गत वर्ष सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाये थे कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की लिप्तता है, उसके बाद दोनों देशों के संबंध बिल्कुल नीचे उतर आये है। जब कैनडा ने निज्जर प्रकरण में 'पर्सन्स ऑफ इन्ट्रैस्ट' के रूप में भारतीय अधिकारियों पर सवाल खड़े करने की कोशिश की थी, तो भारत ने कैनडा के छह राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था तथा ओटावा से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। कैनडा में चल रही खालिस्तान समर्थक गतिविधियों, जिनमें अभी हाल ही में टोरंटो के नजदीक एक मंदिर पर हुआ हमला शामिल है, ने दोनों देशों के बीच के संबंधों को ओर ज्यादा उत्तेजक कर दिया है।

'बुरे दिन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दो दिन से राजस्थान प्रभारी रंधावा चुप्पी साधे हुए हैं, यह रहस्य हो गया है कि क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री की मनमानी कांग्रेस में बदस्तूर जारी रहेगी और प्रदेश संगठन को सत्ता की लालसा में डूबे उम्र दराज़ हो चुके और तीन-तीन बार हारे मुख्यमंत्री की जेब में रहने वाली संस्था बनने दिया जाएगा या सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि वे गहलोत की चाकरी करने से बचें।

जयपुर एयरपोर्ट पर जिस तरह से अशोक गहलोत अपने साथ धर्मेंद्र राठौड़ को ले गए और राहुल गांधी से हाथ मिलवाया उससे यह साबित हो गया है कि कांग्रेस राजस्थान के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। एयरपोर्ट पर दिखाई दी मंडली के रहते राजस्थान में भाजपा को 2028 में रिपीट होने से रोक पाना किसी के बस में नहीं है।

शरद पवार पर नारायण राणे की टिप्पणी आकस्मिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अघाड़ी (एम.वी.ए.) सरकार कभी नहीं बनेगी तथा उद्धव ठाकरे फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे।"

भाजपा नेता नारायण राणे ने यह भी कहा, "महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का सड़क पर चलना मुश्किल हो जायेगा। संजय राउत ने शिवसेना (उद्धव बाल ठाकरे) के पुनरुद्वार की प्रतीक्षा की, लेकिन पार्टी का अब पहले जैसा दबदबा नहीं रहा है।"

लेकिन, एन.सी.पी. (एस.पी.) का इस संभावना से अधिकृत इनकार, कि शनिवार, 23 नवम्बर को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाने के बाद, शरद पवार भाजपा से हात मिला लेंगे, राजनैतिक अटकलों को विराम नहीं दे पा रहा है।

एक राजनैतिक पर्यवेक्षक ने, उनका नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, "राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात का असली कारण जान पाना बहुत मुश्किल है कि भाजपा नेता नारायण राणे ने इस बयान को जारी करने के लिये चुनाव परिणामों की घोषणा से ठीक एक दिन पहले का ही दिन क्यों चुना। लेकिन, इसके सूत्र अडानी-प्रकरण से जुड़े हो सकते हैं।"

जब उनसे विस्तार में जाने का आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा, "कांग्रेस अडानी तथा उनकी धारावी पुनर्विकास योजना का खुला विरोध कर रही है। शिव सेना (यू.बी.टी.) भी इसका विरोध कर रही है, जबकि तथ्य यह है कि यह प्रोजेक्ट अडानी को उद्धव ने ही दिया था, जब वे सत्ता में थे। लेकिन यह भी सुविदित है कि शरद पवार अडानी के नजदीक रहे हैं और हो सकता है कि पवार, अडानी के सम्बंध में कांग्रेस या शिवसेना के दृष्टिकोण को शेयर करना नहीं चाहें।"

लेकिन, अभी यह कहना वास्तव में बहुत जल्दबाजी होगी कि अडानी - प्रकरण शरद पवार को भाजपा-समर्थित महायुति की ओर ले जा सकता है, जो अडानी-समर्थक माना जाता है। जो भी हो, इस मामले में बहुत बड़ी सौदेबाजी होगी तथा जो भी पार्टी सत्ता में आती है, उसके साथ अडानी खुशी-खुशी कार्य करना चाहेंगे।

सरकारी गवाह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया था और अन्य आरोपी कटारा से पूर्व गिरफ्तार हो चुके थे। इसके अलावा, मामले में ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि कटारा को सरकारी गवाह बनाए बिना भी पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में निचली अदालत की ओर से आरोपी कटारा का प्रार्थना पत्र खारिज करते के आदेश को सही माना है।

सी.आर.पी.सी. की धारा 306 के तहत पेश प्रार्थना पत्र में कटारा की ओर से कहा गया कि वह स्वेच्छा से माफी गवाह बनने का इच्छुक है। वह घटना को लेकर अदालत के समक्ष साक्ष्य पेश करने की इच्छा रखता है। ऐसे में उसे क्षमादान दिया जाए। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसने निचली अदालत में भी यह प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसका जांच एजेंसी ने विरोध नहीं किया था। ऐसे में निचली अदालत ने उसका प्रार्थना पत्र गलत तरीके से खारिज किया है।

मामले में फिलहाल अनुसंधान लंबित है। इसलिए उसे माफी गवाह बनाकर क्षमादान दिया जाए। वहीं, मामले के परिवादी नियाज मोहम्मद खान की ओर से कहा गया कि यदि कटारा महत्वपूर्ण साक्ष्य देता है तो उसे कोई एतराज नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कटारा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

एस.आई. भर्ती-2021...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। इस पर अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। ऐसे में सरकार दो सप्ताह में अदालत में जवाब पेश करे। वहीं, कुछ ट्रेनी एस.आई. की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर मामले में पक्षकार बनने की गुहार की गई। ट्रेनी एस.आई. की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया कि याचिका में होने वाले निर्णय से उनके हित प्रभावित होंगे। ऐसे में याचिका में उन्हें भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए। इस प्रार्थना पत्र का राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकील ने विरोध नहीं किया। इस पर अदालत ने उन्हें पक्षकार बना लिया।

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि आर.पी.एस.सी. ने 3 फरवरी, 2021 को पुलिस उपनिरीक्षक के पदों पर आवेदन मांगे थे। इसमें चार सौ अंक की लिखित परीक्षा और पचास अंक का साक्षात्कार रखा गया। भर्ती में 7.93 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 3.83 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं, परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक हुआ, लेकिन भर्ती की पाली में हुई पहली परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक हो गया। इसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज हो गई, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया जारी रखी और 21 सितंबर 2023 को अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी। इसके बाद, एस.ओ.जी. ने 3 मार्च 2024 को परीक्षा के पेपर लीक का मामला दर्ज किया। एस.ओ.जी., पुलिस मुख्यालय व राज्य के महाधिवक्ता भर्ती परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा कर चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि ऐसे में संभावना है कि भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग दे दी जाएगी। भर्ती में धांधली के कारण याचिकाकर्ता चयन से वंचित हुए हैं। इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाए।

दिल्ली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जैसे ही ए. क्यू. आई. स्तर बढ़े स्कूलों को उनका पालन करना चाहिए।

- सुबह के समय प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है इसे देखते हुए स्कूल सुबह 9 बजे बाद शुरू किए जा सकते हैं। यह व्यवस्था नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी के लिए ही होनी चाहिए।
- एकैडमिक कैलेण्डर फिर से बनाया जाए ताकि जब प्रदूषण चरम पर हो तब दो सप्ताह के लिए स्कूल बंद रखे जा सकें। ये दो हफ्ते अन्य छुट्टियों के साथ एडजस्ट किए जाएं।
- सरकार बच्चों को एन 95 मॉस्क उपलब्ध करवाए।
- जिस समय ए.क्यू.आई. स्तर ज्यादा हो तब स्कूल उन बच्चों के लिए ब्रॉडकास्ट क्लास चला सकते हैं जिन्हे सांस की भारी तकलीफ है।
- याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि स्कूल बंद करने की बजाय इस समस्या का हल किया जाए।

डॉक्टर पहले अपना इलाज़ तो ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक पल के लिए यह सोचें कि, एक भारतीय अदालत अमेरिका में एक अमरीकी कंपनी द्वारा अमेरिकी भूमि पर लागू की जा रही किसी परियोजना में भ्रष्टाचार और परियोजना के कायान्वयन में लापरवाही पर निर्णय दे। इसे तुरंत खारिज कर दिया जाता।

इतना ही नहीं, इसे भारतीय अदालतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के घटिया व उद्दंड प्रयास के रुप में देखा जाता।

अमेरिका में एक फॉरैन प्रिवैंशन ऑफ करप्शन एक्ट (विदेशी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, जिसके तहत गौतम अडानी और उनके भतीजे पर अभियोग दायर किया गया है और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। भारत भी ऐसा कुछ कानून बना सकता है, जिनके तहत विदेशी भूमि पर दोषी पाए गए किसी व्यक्ति को निर्वाचित पदों से अयोग्य घोषित किया जा सके।

तथापि, मुद्दा यह है कि अमेरिका का ऐसा प्रभाव है जो अपनी ही सीमाओं और कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर तक अपनी अकड़ को फैलाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि, यदि एक व्यवसायिक इकाई अमेरिकी बाज़ारों में धन जुटाने का प्रयास कर रही है तो वह स्वतः ही अमेरिकी कानूनों के अधीन हो जाती है और अमेरिका के लोगों द्वारा इन संस्थानों में निवेश किए गए धन की सुरक्षा के लिए यू.एस. के कानून व प्रावधान लागू होते हैं।

गौतम अडानी ने वास्तव में आंध्र प्रदेश सरकार व उसके अधिकारियों व राजनेताओं को रिश्वत दी है या नहीं, यह जांच का विषय है। इस देश में कोई भी विश्वास नहीं करता कि बड़ी-बड़ी सरकारी मंजूरियाँ राजनेताओं को पैसा दिए बिना मिल सकती हैं। जैसी कि कहावत है, रिश्वत दिए बिना किसी सरकारी संगठन को एक पिन भी नहीं बेचा जा सकता है।

भले ही कथित अपराध किए गए हों, भारतीय जाँच ऐ्जेन्सियों को इनकी जांच करनी चाहिए थी। वैसे, ऐतिहासिक रुप से ऐजेन्सियों का रिकॉर्ड सुस्त रहा है, और लालू यादव को छोड़कर, शायद ही कभी किसी बड़े राजनेता को दोषी ठहराया गया है।

पश्चिम बंगाल में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस नेताओं के कथित अपराधों को ही देखें। एक सरकारी अस्पताल में हुई हत्या में मिलीभगत के आरोप से लेकर, बड़े स्तर पर पब्लिक फण्ड में हेराफेरी तक, अभी तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है। जबकि, तृणमूल कांग्रेस नेताओं और उनकी प्रेमिकाओं के घर से कई करोड़ रुपए कैश में मिले। वर्षों तक जेल में रखने के बाद कथित अपराधियों को एक एक करके रिहा किया जा रहा है। तथापि, भारतीय कानून प्रवर्तन (लॉ एन्फोर्समैंट) और अपराध रोकथाम संस्थानों और रिकॉर्ड्स में ऐसी प्रत्यक्ष चूकों के बावजूद, एक राष्ट्र के रुप में भारत, भारत की भूमि पर हुए भारतीय मामलों में, अमेरिका की लॉ एन्फोर्समैंट एजेन्सियों की जीत का जश्न नहीं मनाया जा सकता। अमेरिकी अभियोग से प्रेरित होकर, तृणमूल कांग्रेस जैसी, बुरी तरह से निन्दित राजनीतिक पार्टियाँ अरबपति अडानी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग कर रही हैं।

गौतम अडानी और उनके संगठन से गल्ती यह हुई कि उन्होंने इन आरोपों पर यू.एस. डिपार्टमैंट ऑफ जस्टिस द्वारा की जा रही जांच के बारे में जानकारी से इंकार किया, जबकि, उन्हें इसकी जानकारी थी। तथा, चूँकि वो अमेरिकी सिक्यूरिटीज़ मार्केट से धन जुटा रहे थे, इसलिए जानकारी से इंकार करना, संभावित निवेशकों से तथ्यों को छुपाना था।

कोई भी निवेशक को अपना पैसा देने को मजबूर नहीं कर रहा है। लेकिन, संगठन तथा उस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं देना, जिसे वह निवेश के लिए पेश कर रहा है, निश्चित रुप से एक उल्लंघन है। इसलिए, इस हद तक अडानी संगठन जिम्मेवार है।

तथापि, जब तक संगठन अमेरिका के पूंजी बाज़ारों से दूर है, तब तक, यह निश्चित करना भारतीय अधिकारियों का काम है कि रिश्वत दी गई या नहीं।

जहाँ तक अपराधिक दायित्वों का सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी याद आती है। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जो गैस लीक तथा उसके कारण हुए भारी त्रासदी के लिए जिम्मेवार थी, उसे भारतीय अधिकारियों की स्पष्ट जानकारी में भारत छोड़ने की अनुमति दे दी गई। जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया, उन्हें अपराध के अनुपात में कभी सजा नहीं मिली और प्रभावित लोगों के जीवन में जो विकृति आई उसके लिए उन्हें कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। अमेरिका कानूनों ने उन्हें कभी सजा नहीं दी, इसके बावजूद कि दुनिया भर में इस लापरवाही की कड़ी निंदा हुई।

यह शायद इसलिए था, क्योंकि, त्रासदी में पीड़ित भारतीय गरीब थे, ना कि अमेरिकी कर्मचारी, जो अमेरिकी संयंत्र में काम कर रहे थे। कल्पना कीजिये, यदि ऐसा ही एक गंभीर हादसा अमेरिका की धरती पर भारतीय संयंत्र में हुआ होता।

रिश्वत हो या ना हो, यह तथ्य स्थापित किया जाना चाहिए, कि यदि कोई संस्था स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करती है, तो उसे वहीं, यानि देश में परिणाम भुगतने होंगे, ना कि किसी अन्य विदेशी देश में। जल्द ही गौतम अडानी और उनकी कंपनी के खिलाफ अमेरिका द्वारा प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है। भारत को इसका साहसिक तरीके से जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे विपक्षी राजनेता कुछ भी कहें।

और एक साधारण भारतीय के दृष्टिकोण में, इसका एकमात्र जवाब हो सकता है, "डॉक्टर, पहले अपना इलाज करे। एक अपराधी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करो।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908